मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10 /09/2024

एफ IPI/2/0117/2023/ए-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में) के स्थापना किए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र (पॉवर एण्ड रिन्युवेबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफेक्चरिंग जोन) की स्थापना एवं संचालन हेतु औद्यागिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीनस्थ संस्था एमपी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को अधिकृत किया जाता है।

2. मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना हेतु राज्य शासन के अंश की राशि रु 93.50 करोड़ में से 40% राशि अर्थात राशि रु. 37.40 करोड़ समायोजन के पश्चात शेष 60% राशि रु. 56.10 करोड़ की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से न किया जाकर एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के द्वारा किया जायेगा।

3. विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) के अतिरिक्त निम्नानुसार सुविधायें दी जायेगी :-

3.1 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में विद्युत दर राशि रूपये 4.36 प्रतियूनिट प्रथम 05 वर्ष तक होगी तत्पश्चात् 3 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत विद्युत दर के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3.2 इकाईयों को विद्युत संयोजन दिनांक से 05 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3.3 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में प्रथम 05 वर्ष तक जल दर राशि रूपये 25 प्रति किलोलीटर होगी तत्पश्चात दरों में 3 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि का स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3.4 पार्क में स्थापित होने वाले इकाईयों को भूमि संबधी दस्तावेजों के लिखत प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

3.5 प्रस्तावित पार्क में इकाईयों को भूमि आवंटन हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

3.5.1 विकास शुल्क 35 वर्ष तक बिना कोई वृद्धि के वार्षिक दर रूपये 20.00 प्रति वर्गमीटर किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

निरंतर.....

3.5.2 भूमि प्रब्याजी रूपये 1 (एक) टोकन राशि पर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी जाती है।

3.5.3 लीज रेंट वार्षिक दर रूपये 1.00 प्रति वर्गमीटर लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में स्थापित विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में भूमि/भूखण्ड/भवन आंवटन हेतु इच्छुक इकाईयों से आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाकर निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, भूमि की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर सम्यक विश्लेषण उपरांत भूमि/भूखण्ड/भवन आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है-

1	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	अध्यक्ष
2	प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. भोपाल	सदस्य
3	कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित)	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 10 /09/2024

पृ. एफ IPI/2/0117/2023/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग